राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांकःप.1(19)साप्र/ग्रुप–5/2016 जयपुर, दिनांकः 20/04/2017

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 11(4)साप्र/5/92 दिनांक 17.5.2012 का अधिक्रमण करते हुए विश्राम भवन में ठहरने वाले पात्र अतिथियों की पात्रता आदिनांक संशोधित कर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है । राज्य सरकार द्वारा मैन्यूअल के अध्याय–1 अनुच्छेद–2 में विभागीय आदेश क्रमांक प. 16(39)साप्र/5/88 दिनांक 9.12.2015 में निर्धारित दरों के अनुसार पूर्ण भुगतान चेक–आउट के समय करना अनिवार्य होगा ।

1–पात्रता

ग्रुप–ए/राजकीय केटेगरी (अ) (i)

सिर्फ राजकीय कार्य से यात्रा पर एक बार में 7 दिन तथा माह विशेष में 10 दिन (राजकीय आवास धारक, मुख्यालय होने एवं स्थानीय निवासी को सुविधा देय नहीं)

1 महामहिम राज्यपाल/मा0 अध्यक्ष, विधानसभा/मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान एवं राज्य के समस्त वर्तमान मंत्रीगण (राज्यमंत्री/उपमंत्री/संसदीय सचिव/नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष/सरकारी मुख्य/उप सचेतक एवं समकक्ष दर्जा प्राप्त सहित)

2 राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस./आई.पी.एस/आई.एफ.एस.) के समस्त अधिकारी।

3 राजस्थान कैडर के राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा एवं राजस्थान सचिवालय सेवा के ग्रेड पे–6600/– पाने वाले अधिकारी ।

4 राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के अनुसार ग्रेडवेतन 7600/– या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले राजस्थान राज्य की समस्त सेवाओं के अधिकारी ।

5 राजस्थान राज्य के समस्त वर्तमान संसद सदस्य।

6 राजस्थान राज्य के समस्त वर्तमान विधायकगण एक बार में/माह विशेष में 7 दिन, (लेकिन सर्किट हाउस, जयपुर के लिये अधिकृत नहीं)

7 राजस्थान राज्य के समस्त नवनिर्वाचित विधायकगण स्थाई आवास आवंटित होने तक विश्राम भवन, जयपुर के लिए अधिकृत

8 राजस्थान राज्य के समस्त वर्तमान जिला प्रमुख (केवल राजस्थान स्थित विश्राम भवनो में)

9 राजस्थान राज्य के समस्त नगर निगमों के वर्तमान महापौर एवं उप–महापौर (केवल राजस्थान स्थित विश्राम भवनों में)।

10 राजस्थान पुलिस/न्यायिक/लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी। प्रशिक्षण अवधि में लगातार एक माह तक तत्पश्चात माह विशेष में 7 दिन।

11 राजस्थान सरकार की ड्यूटी पर आने वाले सभी पॉयलेट।

12 राजस्थान राज्य के राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं समस्त जिला उपभोक्ता मंचो के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्य माह में अधिकतम 7 दिवस। (कैम्प कोर्ट में मुख्यालय से बाहर जाने पर ग्रुप–ए तथा अन्य प्रयोजन से यात्रा करने पर ग्रुप–सी की दरे प्रभावी होंगी)

13 कार्यालय माननीय मंत्री/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सा.प्र.वि. एवं सा.प्र.वि. के (ग्रुप–4)/(ग्रुप–5) में पदस्थापित वे ही अधिकारी/मंत्रालयिक कर्मचारी जो सीधे विश्राम भवन सेवा से संबंधित कार्यों को निष्पादित करते हैं।

14 राजस्थान राज्य के वक्फ बोर्ड, अल्प संख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, हज कमेटी के अध्यक्ष या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य इसी श्रेणी के आयोगों के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्य एवं पीठासीन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, राजस्थान ।

15 राजस्थान राज्य की साहित्य अकादमी, संस्कृत अकादमी, उर्दू अकादमी, बृज भाषा अकादमी, सिंधी अकादमी, संस्कृत अकादमी, खेल परिषद, राजस्थान गो–सेवा आयोग, या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य समकक्ष संस्थाओं के अध्यक्ष।

16 राजस्थान राज्य के लोकायुक्त/सचिव, बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन, लोक सेवा आयोग, राजस्व मण्डल के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य ।

17 राजस्थान राज्य के सर्किट हाउस सेवा के वर्तमान अधिकारी/कर्मचारी ।

2